सिंचाई विभाग विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनपद नैनीताल–जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विविध प्रारम्भिक आवश्यक कार्यो का आगणन की योजना के अनुमोदनार्थ मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 22 जुलाई, 2021 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 22 जुलाई, 2021 में उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित थे:–

1. श्रीमती मनीषा पंवार, अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्रीमती सौजन्या, सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री एच0सी0 सेमवाल, सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. डॉ0 वी0 षणमुगम, सचिव (प्रभारी), नियोजन/वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री मुकेश मोहन, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. श्री ओम प्रकाश, मुख्य अभियन्ता, प्रतिनिधि प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
7. श्री गंगा प्रसाद पन्त, तकनीकी विशेषज्ञ, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
8. श्री डी0डी0 डालाकोटी, सलाहकार (अभियन्त्रण), राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
9. श्री प्रशान्त विशनोई, महाप्रबन्धक (पी0आई0यू0), जमरानी बांध परियोजना, उत्तराखण्ड।

1. **कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य** :– जनपद नैनीताल के हल्द्वानी एवं तराई भावर क्षेत्र एवं उत्तर प्रदेश के रामपुर एवं बरेली जनपद में सिंचाई सुविधाओं के विकास एवं हल्द्वानी शहर एवं पेयजल की आवश्यकता के दृष्टिगत जमरानी बांध का निर्माण प्रस्तावित है।

   पूर्व में अविभाजित उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा 70 के दशक में जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना प्रस्तावित की गयी थी। परियोजना में 145 मीटर ऊँचा Rock-fill dam तथा व्यावर्तन हेतु डाउन स्ट्रीम में बैराज का निर्माण एवं 40.50 कि0मी0 लम्बी पोषक नहरों का निर्माण प्रस्तावित किया गया था। वर्ष 80 के दशक तक बैराज का निर्माण एवं नहर प्रणाली का निर्माण वर्ष 1981–82 में पूर्ण किया जा चुका है, लेकिन बांध के प्रकार एवं ऊचाई के बारे में निर्णय न होने के कारण बांध निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका।

2. **व्यय वित्त समिति की बैठक से पूर्व प्रस्तुत राज्य योजना आयोग का अभिमत :–**

   2.1 योजना के सम्बन्ध में विभागीय समिति की बैठक सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 26.03.2021 को सम्पन्न हुई जिसमें आगणन की स्वीकृति हेतु व्यय वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने संस्तुति की गयी है।

   2.2 जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना, केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा लागत रू0 2584.10 करोड (केन्द्रीय जल आयोग की नदी घाटी परियोजनाओं हेतु निर्धारित दरें वर्ष 2018 पर आधारित) का अनुमोदन दिनांक 11.02.2019 को किया गया है।

   2.3 आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार द्वारा उक्त परियोजना को ए0डी0बी0 के माध्यम से वित्त पोषण हेतु दिनांक 08.01.2020 को सहमति दी गयी।

क्रमशः पृष्ठ–2/–

2.4 बांध परियोजना को वाह्य सहायतित परियोजना के रूप में एशियन डेवलपमेन्ट बैंक के माध्यम से 80:20 के अनुपात के वित्त व्यवस्था के अन्तर्गत क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया।

2.5 परियोजना से लाभान्वित होने वाली उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश के मध्य लागत एवं जल बटवारे के सम्बन्ध में दिनांक 22.02.2018 को एम0ओ0यू0 निष्पादित किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जल वितरण प्रणाली को छोडकर सिंचाई अंश की 57 प्रतिशत लागत वहन की जायेगी, शेष लागत उत्तराखण्ड राज्य द्वारा वहन की जायेगी।

2.6 ए0डी0बी0 मिशन टीम द्वारा दिनांक 17 से 20 फरवरी, 2020 के मध्य परियोजना कार्य के स्थल का निरीक्षण किया तथा विभागीय अधिकारियों के साथ परियोजना के विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर व्यापक विचार–विमर्श किया गया।

2.7 भ्रमण के उपरान्त टीम द्वारा निर्गत किये गये Aide Memoire के माध्यम से मुख्यतः कुछ बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी जिनके अनुपालन में विभाग द्वारा निम्नांकित कार्य इस आगणन में प्रस्तावित किये गये है।

उपरोक्त के क्रम में आगणन में प्रस्तावित कार्य एवं उनकी लागत का विवरण निम्नवत् है :–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	मद / योजना का नाम	DSR	SOR	NSI
अ)	**जमरानी बांध परियोजना हेतु विभिन्न अध्ययनों के कार्य**			
1	जमरानी बांध परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र में जी0आई0एस0 मैपिंग			47.35
2	Wild Life Research / Study & Monitoring (कैमरा ट्रैप स्टडी)			34.40
3	जमरानी परियोजना क्षेत्र का ड्रोन सर्वे			19.34
4	Model Study of Jamrani Dam Multipurpose Project			48.00
ब)	**जमरानी बांध परियोजना हेतु कन्सलटेन्सी कार्य**			
	हैडाखान मन्दिर पुनर्निर्माण हेतु कन्सलटेंसी			19.45
	जमरानी बांध परियोजना में विशेषज्ञ समिति हेतु तकनीकी सामाजिक अथशास्त्री पर्यावरण			124.13
	जमरानी बांध परियोजना का टेन्डर स्टेज व डिजाइन तथा ड्राइंग हेतु कन्सल्टैन्सी			133.53

क्रमशः पृष्ठ–3/–

	Social Survey Report Compilation			8.74
	जमरानी तथा तराई फीडर का वन प्रस्ताव हेतु सर्वे एवं डी0पी0आर0 गठन का कार्य			7.63
	जमरानी बांध परियोजना की डी0पी0आर0 हेतु मैसर्स एस0वी0एस0 प्राइवेट लिमिटेड को भुगतान			17.73
	पर्यावरण स्वीकृति हेतु मैसर्स वायन्ट्स सल्यूशन का भुगतान			1.21
स)	**आवासीय/अनावासीय भवनों एवं मोटर मार्ग के अनुरक्षण/मरम्मत का कार्य।**			
	Maintenance and Repair (Roof and Interior) of Residential Building at Gola Sinchai Colony, Damuadhunga Dist. Nainital	30.24		
	Maintenance and Reparing office JDCD-II Haldwani	17.91		2.20
	गौला सिंचाई कालोनी परिसर में फील्ड हॉस्टल के पुनरोद्धार का काय	7.09		2.40
	बांध स्थल के पैदल मार्गो एवं पहुच मार्ग का निर्माण एवं बांध स्थल तथा ड्रिफ्टों के आस–पास के जंगल की सफाई का कार्य।		19.51	
	अमृतपुर जमरानी मोटर मार्ग में अनुरक्षण का कार्य		60.79	3.65
	जमरानी बांध निर्माण खण्ड–2 के अन्तर्गत विभिन्न गोदामों में लेबर की व्यवस्था			11.92
	योग	**55.24**	**80.30**	**481.68**
	Contingency @ 3% on S.I. Item	1.66	2.15	
	योग	**56.90**	**82.45**	**481.68**
	कुल योग	**621.03 लाख**		

परियोजना की कुल लागत :– रू0 621.03 लाख

2.8 जमरानी बांध परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र में जी0आई0एस0 मैपिंग के कार्य हेतु पूर्व में शासनादेश संख्या–488 दिनांक 10.03.2021 द्वारा रू0 47.35 लाख विभाग को अवमुक्त की जा चुकी है।

3 व्यय वित्त समिति में विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय :–

प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी चर्चा के उपरान्त मुख्य सचिव महोदय/अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा आगणन में प्रस्तावित सभी कार्यो को निर्धारित समय अवधि में अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

क्रमशः पृष्ठ–4/–

इसी क्रम में यह भी निर्देश दिये गये कि **परियोजना निर्माण कार्यो के क्रियान्वयन हेतु गठित Project Implementation Unit (PIU) में श्रेष्ठ कार्य कुशलता, तकनीकी अनुभव एवं उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन वाले अधिकारियों की ही पद स्थापना की जाय ताकि राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना को निर्धारित समय में पूर्ण किया जा सकें।**

प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव लागत सार–2.7 (Summary of Cost) **में अंकित लागत के सारांश–2.7 में उल्लिखित मदवार विवरण राज्य योजना आयोग स्तर पर परीक्षणोपरान्त लागत धनराशि रू0 621.03 लाख** को निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमोदित किया गया :–

3.1 कार्यो की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय, अनुरक्षण एवं पुनर्निर्माण के कार्यो में गुणवत्ता नियन्त्रण का विशेष ध्यान रखा जाय।

3.2 सामग्री एवं उपकरण क्रय हेतु ई–प्रोक्योरमेन्ट एवं जैम पोर्टल/पारदर्शी एवं खुली निविदा के माध्यम से वित्तीय नियमों के अनुसार अधिप्राप्ति नियमावली–2017 का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3.3 योजना कार्यो पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

3.4 निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, स्टोन, पाईप, cement एवं अन्य का I.S.Code के मानको के अनुरूप N.A.B.L. Laboratory से परीक्षण कराते हुए मानक विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्ता अवश्य सुनिश्चित की जाय।

3.5 कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य के समस्त Design and Drawing सक्षम स्तर से अनुमोदित कराया जाय।

3.6 आगणन में सिविल निर्माण कार्य हेतु एस0ओ0आर0 की दरें ली गई है एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टयां भी उल्लिखित है। विशिष्टयों तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदों का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें है।

3.7 मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से भी नियोजन को अवगत करायेंगे।

3.8 प्रस्तावित कार्यो के सापेक्ष मद संख्या–अ(1) हेतु पूर्व में धनराशि रू0 47.35 लाख अवमुक्त की जा चुकी है स्वीकृति निर्गत करते समय प्रशासनिक विभाग द्वारा इसका समायोजन कर लिया जाय।

व्यय वित्त समिति के उपरोक्त क्रमांक 3.1–3.8 तक निहित शर्तो का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों पर शत–प्रतिशत अनुपालन किया जाय।

उक्त प्रतिबन्धों का समावेश इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले शासनादेश में अवश्यमेव कर लिया जाय।

अन्त में अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव

क्रमशः पृष्ठ–5/–

उत्तराखण्ड शासन,
राज्य योजना आयोग
(नियोजन विभाग)
संख्या 845 /723/ई0एफ0सी0/सिंचाई/रा0यो0आ0/2021–22
देहरादूनः दिनांकः 30, जुलाई, 2021

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तरखण्ड शासन।
2. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रोग्रामर, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कार्यवृत्त को वेबसाइट में अपलोड करे।

(डॉ0 वी0 षणमुगम)
सचिव (प्रभारी)